[2020] 1 उम. नि. प. 76

बलजीत सिंह (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधिगण और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[2017 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) संख्या 30404 से 30442 एवं 3455 से 3460 और 2018 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) संख्या 23522 से 23530]

8 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 136 [सपठित परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4] – विशेष इजाजत अपील – विहित परिसीमा अवधि के भीतर अपील फाइल नहीं करना – अपील फाइल करने में अत्यधिक विलंब करना – विलंब माफी के लिए आवेदन – विलंब माफी के लिए युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दर्शित नहीं होने के कारण आवेदन खारिज होना – चुनौती – यदि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह दर्शित होता है कि विशेष इजाजत अपील को परिसीमा अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया है और इसे फाइल करने में अत्यधिक विलंब (21 वर्षों का) किया गया है तथा अत्यधिक विलंब होने का युक्तियुक्त रूप से स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है तो इस दशा में, यदि न्यायालय विलंब माफी के आवेदन को खारिज करता है तो यह न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा ।

मूल दावेदारों-भू-स्वामियों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 1993 की प्रथम अपील सं. 919 और अन्य संबद्ध प्रथम अपीलों में पारित तारीख 2 अप्रैल, 1996 के सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान विशेष याचिकाओं को प्रस्तुत किया है ।

आरंभ में ही, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए विशेष इजाजत याचिकाओं को प्रस्तुत करने में क्रमश: 7534, 7542 और 7886 दिनों (लगभग 21 वर्षों) का अत्यधिक विलंब हुआ है । विशेष इजाजत याचिकाओं को पुन: फाइल करने में क्रमश: 193, 224 और 142 दिनों का भी विलंब हुआ है । विलंब माफी के लिए फाइल आवेदन/आवेदनों का इसमें के प्रत्यर्थियों द्वारा जोरदार विरोध किया गया है । इसलिए, इस न्यायालय द्वारा प्रथमत: याचियों/आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विशेष इजाजत याचिकाओं को फाइल करने में क्रमश: 7534, 7542 और 7886 दिनों के अत्यधिक विलंब को माफ करने के लिए प्रस्तुत याचिकाओं/आवेदनों पर विचार और विनिश्चय करना अपेक्षित है । न्यायालय द्वारा आवेदनों/विशेष इजाजत याचिकाओं को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रारंभ में ही, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश जिसे वर्ष 1996 में पारित किया गया है, को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाओं को प्रस्तुत करने में लगभग 21 वर्षों का अत्यधिक विलंब हुआ है । यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि ग्राम गुलसितापुर और तिल्पटा में स्थित भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना वर्ष 1985 में जारी की गई थी और जनवरी, 1987 के माह में उन पर कब्जा लिया गया था, और भूमि अर्जन अधिकारी ने 8-10 रुपए प्रति वर्ग गज की दर पर प्रतिकर अधिनिर्णीत करते हुए, वर्ष 1988 में अधिनिर्णय घोषित किया था । इसमें के याचियों-मूल भूमि स्वामियों की प्रेरणा पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन निर्देश न्यायालय के समक्ष निर्देश किया गया था । तारीख 22 मार्च, 1993 के निर्णय और अधिनिर्णय द्वारा निर्देश न्यायालय ने प्रतिकर की दर को 30/- रुपए प्रति वर्ग गज बढ़ा दिया था । तथापि, अपील करने पर और अभिलेख पर के सामग्रियों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा प्रतिकर

की रकम को घटाकर 22-20 रुपए प्रति वर्ग गज कर दिया था । इसके बाद, लगभग 21 वर्षों की अवधि के पश्चात्, अब याचियों ने एक अन्य ग्राम कासना के भूमि स्वामियों के लिए अधिनिर्णीत प्रतिकर के बराबर प्रतिकर का दावा करते हुए, वर्तमान याचिकाओं को प्रस्तुत किया है । यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि जहां तक ग्राम कासना की अर्जित भूमि का संबंध है, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना वर्ष 1989 अर्थात् 4 वर्षों के अंतराल के पश्चात् जारी किया गया था और यह प्रतीत होता है कि इस बीच में कतिपय अन्य कार्यवाहियां भी की गईं थीं । विलंब माफी के लिए आवेदन/आवेदनों में किए गए प्रकथनों पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि चूंकि याची, लगभग 21 वर्षों के अत्यधिक विलंब को माफ करने के पर्याप्त कारण बताने में बुरी तरह से असफल रहे हैं । वे लगभग 21 वर्षों के अत्यधिक विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं कर पाए हैं । यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि चूंकि आवेदन में स्वयं ही याचियों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष आने में अत्यधिक विलंब हुआ है । इसके पश्चात् याचियों ने यह कथन किया है कि यद्यपि, याचियों ने 65/- रुपए प्रति गज की दर से बढ़े हुए प्रतिकर को पाने के लिए युक्तियुक्त कारण दिए हैं किन्तु, ऋजुत: साम्या के संतुलन के अनुक्रम में, यह न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख अर्थात् 2 अप्रैल, 1996 से इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाओं को फाइल करने तक ब्याज मंजूर नहीं कर सकता है । पैरा 3 में स्पष्टीकरण के सिवाय, जिसे इसमें उपर्युक्त प्रस्तुत किया गया है, लगभग 21 वर्ष के अत्यधिक विलंब का स्पष्टीकरण करते हुए, जो भी हो, का कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । न तो किसी गरीबी का अभिवाक् किया गया है न ही किसी वित्तीय कठिनाई का अभिवाक् किया गया है । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश के पश्चात् याचियों ने उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर की अपर्याप्तता के संबंध में कोई शिकायत/आक्षेप किया है । इसके प्रतिकूल, सभी याचियों ने निर्देश न्यायालय द्वारा 30/- रुपए प्रति गज की दर से प्रतिकर अवधारित करते

हुए पारित निर्णय और अधिनिर्णय के अनुसार अधिनिर्णीत प्रतिकर को स्वीकार कर लिया है । यह प्रतीत होता है कि कुछ भूमि स्वामियों के संबंध में, निर्देश न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर की अंतरीय रकम की वसूली के संबंध में निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम 30/- रुपए प्रति गज से घटाकर 22/- रुपए प्रति गज कर दिया । चाहे जैसे भी स्थिति भी हो, यह तथ्य शेष रह जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के पश्चात् भी उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर की अपर्याप्तता के संबंध में याचियों द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की गई । इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि याचियों द्वारा लगभग 21 वर्षों की अवधि तक कोई शिकायत नहीं की गई है । इसलिए, मौन सहमति के सिद्धांत के निबंधनों पर विचार करते हुए, याचियों ने शिकायत करने के अपने अधिकार को खो दिया है । यह सिद्धांत, मौन सहमति के सिद्धांत पर आधारित है जो यह अधिरोपित करता है कि उन मामलों में जब कोई पक्षकार जो अन्य पक्षकार के अभिकथित गलत कार्यों की मौन सहमति देते हुए, कोई आक्षेप नहीं करता है और इसलिए, उसे अभिकथित गलत कार्यों के विरुद्ध शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है । मामले की एक अन्य पहलू अर्थात् लापरवाही और विलंब के नजरिए से परीक्षा की जानी अपेक्षित है । विधि शास्त्र का यह अत्यधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि यदि लंबे समय तक अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह अस्तित्व में नहीं रह जाता है । यहां तक कि जब कतिपय कार्यवाहियों के संबंध में, किसी विधि द्वारा कोई परिसीमा अवधि विहित नहीं होती है तो भी ऐसे मामलों में ऐसे मुकदमेबाज जिनके वाद खारिज कर दिए जाते हैं, अयुक्तियुक्त विलंब के पश्चात् कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायोचित स्पष्टीकरण के बिना विलंबित तौर पर न्यायालय के समक्ष आते हैं तो न्यायालय, लापरवाही और विलंब के सिद्धांत के साथ ही मौन सहमति के सिद्धांत को भी विचार में लेते हैं । उन मामलों में, जिनमें परिसीमा अवधि विहित होती है, जिनके भीतर न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लिए लाया जाता है, यदि कार्रवाई उस विहित अवधि के भीतर नहीं की

जाती है तो व्यथित पक्षकार उपचार को खो देते हैं और वे परिसीमा अवधि की समाप्ति होने पर अपने विधिक अधिकारों को प्रवर्तित नहीं करा सकते हैं, तथापि, विलंब की माफी की प्रार्थना के अध्यधीन और यदि विहित परिसीमा अवधि समाप्ति होने के पश्चात्, कार्रवाई करने के लिए न्यायोचित स्पष्टीकरण देते हैं और पर्याप्त कारण दर्शित करते हैं, तो न्यायालय, विलंब माफ कर सकते हैं । इसलिए, यदि जहां परिसीमा अवधि विहित है और कार्रवाई परिसीमा अवधि के भीतर नहीं लाई गई है और पश्चात्वर्ती कार्यवाहियां विलंब माफी के लिए प्रार्थना के साथ परिसीमा अवधि के पश्चात् आरंभ की जाती हैं तो उस मामले में, आवेदक को समुचित स्पष्टीकरण के साथ विलंब के पर्याप्त कारण और न्यायोचित कारण बताना चाहिए । यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में पर्याप्त कारण दर्शित करने के बावजूद, दर्शित नहीं होता है और विलंब को समुचित तौर पर स्पष्टीकृत नहीं किया जाता है, न्यायालय विलंब को माफ कर सकते हैं । विलंब की माफी के लिए कारण बताते हुए, आवेदक पर्याप्त हेतुक/कारण बताता है, जो उसे परिसीमा अवधि के भीतर कार्यवाहियां आरंभ करने से रोकते थे । अन्यथा, वह घोर उपेक्षा का अभियुक्त होगा । यदि व्यथित पक्षकार बिना किसी पर्याप्त कारण के परिसीमा अवधि के भीतर कार्यवाहियां आरंभ नहीं करता है तो उसे अस्पष्टीकृत लापरवाहियों और विलंब के आधार पर अनुतोष देने से इनकार किया जा सकता है और इस उपधारणा पर कि ऐसे व्यक्ति ने अपने अधिकारों को त्यक्त कर दिया है या उस अनुक्रम में मौन सहमति दी है । ये सिद्धांत, इस दृढ़ लोक नीति से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है कि यदि व्यक्ति लंबे समय से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है तो ऐसे अधिकार अस्तित्व में नहीं रह जाते हैं । (पैरा 6.1, 7, 7.1 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	(2017) 12 एस. सी. सी. 840 : **के. सुब्रायुदु** बनाम **विशेष उप-कलक्टर (भूमि अर्जन)** ;	4.1,9

[2014] (2014) 14 एस. सी. सी. 127 :
धीरज सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 4.1,9

[1996] (1996) 1 एस. सी. सी. 311 :
मार्केट कमिटी, होडल बनाम **कृषन मुरानी** । 4.1,9

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) संख्या 30404 से 30442 एवं 3455 से 3460 और 2018 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) संख्या 23522 से 23530.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका ।

याचियों की ओर से सर्वश्री ऋषि मल्होत्रा, उत्कर्ष सिंह और प्रेम मल्होत्रा, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अक्षय अमृतांशु, अनुवर्त शर्मा, रविन्द्र कुमार और (सुश्री) तुलिका प्रकाश, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – विशेष इजाजत याचिकाओं को पुन: फाइल करने में क्रमश: 193, 224 और 142 दिनों का विलंब माफ किया जाता है ।

2. क्रमश: मूल दावेदारों भू-स्वामियों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 1993 की प्रथम अपील सं. 919 और अन्य संबद्ध प्रथम अपीलों में पारित तारीख 2 अप्रैल, 1996 के सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान विशेष याचिकाओं को प्रस्तुत किया है ।

3. आरंभ में ही, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए विशेष इजाजत याचिकाओं को प्रस्तुत करने में क्रमश: 7534, 7542 और 7886 दिनों (लगभग 21 वर्षों) का अत्यधिक विलंब हुआ है । विशेष इजाजत याचिकाओं को पुन:

फाइल करने में क्रमश: 193, 224 और 142 दिनों का भी विलंब हुआ है ।

3.1 विलंब माफी के लिए फाइल आवेदन/आवेदनों का इसमें के प्रत्यर्थियों द्वारा जोरदार विरोध किया गया है । इसलिए, इस न्यायालय द्वारा प्रथमत: याचियों/आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विशेष इजाजत याचिकाओं को फाइल करने में क्रमश: 7534, 7542 और 7886 दिनों के अत्यधिक विलंब को माफ करने के लिए प्रस्तुत याचिकाओं/आवेदनों पर विचार और विनिश्चय करना अपेक्षित है ।

4. संबंधित याचियों की विद्वान् अधिवकता श्री ऋषि मल्होत्रा ने यह जोरदार रूप से निवेदन किया है कि संबंधित याचियों की भूमियों को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से अर्जित किया गया है और इसलिए, वे अर्जित भूमियों के लिए ऋजु प्रतिकर पाने के हकदार हैं । यह निवेदन किया कि विवाद्यक, ग्राम गुलसितापुर और तिल्पटा की अर्जित भूमियों के संबंध में है जो ग्राम कासना से मात्र 4 किलोमीटर दूर है । यह निवेदन किया कि स्थान के अनुसार ग्राम गुलसितापुर और तिल्पटा की भूमि बेहतर स्थान में थे और राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नोएडा-दादरी सड़क से सटे हुए थे । यह निवेदन किया कि ग्राम कासना, ग्राम गुलसितापुर के 4 किलोमीटर के पीछे है । यह निवेदन किया कि ग्राम कासना की अर्जित भूमियों के लिए धारा 4 की अधिसूचना तारीख 1 मार्च, 1989 को जारी हुआ था और प्रतिकर की रकम 65/- रुपए प्रति गज अधिनिर्णीत हुआ था जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा तारीख 5 दिसम्बर, 2016 के आदेश द्वारा कर दी गई थी । यह निवेदन किया कि इसलिए, संबंधित याची ग्राम कासना के भूमि स्वामियों के बराबर प्रतिकर अर्थात् 65/- रुपए प्रति वर्ग गज की दर से ग्राम गुलसितापुर और तिल्पटा की अर्जित भूमियों के लिए ऋजु प्रतिकर पाने के हकदार हैं । यह निवेदन किया कि इसलिए, कृषक/किसान अर्जित भूमियों के लिए ऋजु प्रतिकर पाने के हकदार हैं । यह निवेदन किया कि विलंब होने से, अनिवार्य रूप से अर्जित भूमियों के लिए ऋजु प्रतिकर प्राप्त करने के याचियों के मूल्यवान अधिकार समाप्त नहीं होने चाहिए । यह निवेदन किया कि याचियों को विलंब की अवधि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन ब्याज और अन्य

कानूनी फायदे अधिनिर्णीत नहीं हो सकते हैं ।

4.1 उपर्युक्त निवेदन करते हुए और **मार्केट कमिटी, होडल** बनाम **कृषन मुरानी**[1], **धीरज सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] और **के. सुब्रायुदु** बनाम **विशेष उप-कलक्टर (भूमि अर्जन)**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए, विलंब माफ करने और गुणागुणों पर विशेष इजाजत याचिकाओं पर विचार करने की प्रार्थना की है ।

5. इन सभी आवेदनों का प्रत्यर्थी सं. 3 – उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) और प्रत्यर्थी सं. 4 - ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा जोरदार रूप से विरोध किया गया है । विलंब की माफी के लिए वर्तमान आवेदनों का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की ओर से प्रति-शपथपत्र फाइल किए गए हैं ।

5.1 प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह निवेदन किया गया है कि विशेष इजाजत याचिकाओं को प्रस्तुत करने में लगभग 21 वर्षों का अत्यधिक विलंब हुआ । यह निवेदन किया कि संबंधित याचियों की ओर से पूर्ववर्ती में किसी भी समय पर उच्च न्यायालय द्वारा यथा अधिनिर्णीत प्रतिकर की अपर्याप्तता के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है ।

5.2 प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि इस प्रकार, लगभग 21 वर्षों के अत्यधिक विलंब का स्पष्टीकरण देते हुए कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया है । यह निवेदन किया गया है कि एक अन्य ग्राम के अर्जित भूमियों के मामले में पश्चात्वर्ती विनिश्चय के मात्र कारण को ध्यान में रखते हुए, जिसका अवलंब लेते हुए, याचियों द्वारा वर्तमान याचिकाओं को प्रस्तुत किया गया है, लगभग 21 वर्ष के अत्यधिक विलंब को माफ नहीं किया जा सकता है ।

5.3 प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया

---

[1] (1996) 1 एस. सी. सी. 311.

[2] (2014) 14 एस. सी. सी. 127.

[3] (2017) 12 एस. सी. सी. 840.

गया है कि अन्यथा भी उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के जिन विनिश्चयों का अवलंब लिया गया है वे संपूर्ण रूप से भिन्न ग्राम अर्थात् ग्राम कासना के संबंध में है और उस भूमि के संबंध में भी है जो याचियों की भूमि के अर्जन के लगभग 4 वर्षों पश्चात् अर्जित किए गए थे । यह निवेदन किया गया कि इसलिए, ग्राम कासना की अर्जित भूमियों की तुलना किसी भी प्रकार से ग्राम गुलसितापुर और तिल्पटा की अर्जित भूमियों के साथ नहीं की जा सकती है ।

5.4 यह भी निवेदन किया गया कि जहां तक तारीख 2 अप्रैल, 1996 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश का संबंध है, वे अंतिम हो गए हैं । यह निवेदन किया गया कि याचियों ने न केवल प्रतिकर स्वीकार कर लिया है अपितु उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय देने के पश्चात् इन वर्षों में वर्तमान याचियों द्वारा कोई भी विशेष इजाजत याचिका फाइल नहीं की गई है । यह निवेदन किया गया कि इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश के प्रति मौन सहमति दे दी गई है ।

5.5 प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान याचियों द्वारा निर्णय को पुन: खोलने के किसी भी प्रयास का व्यापक प्रभाव पड़ेगा जहां प्रत्येक व्यक्ति जिनकी भूमि उक्त अधिसूचना द्वारा ग्राम गुलसितापुर और तिल्पटा की भूमियों को अर्जित किया गया है वे बढ़े हुए प्रतिकर अर्थात् 65/- रुपए प्रति वर्ग गज की दर से मांगना प्रारंभ कर देंगे । यह निवेदन किया गया है कि इसी प्रकार से अन्य भूमि स्वामी जिनकी भूमि वर्ष 1985-1989 के बीच भिन्न गांवों में अर्जित की गई है वे भी प्रतिकर की उसी दर से मांग करना प्रारंभ कर देंगे ।

5.6 प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अर्जन के पश्चात्, भूमि को विकसित किया गया है, अवसंरचना और प्रसुविधाएं प्रदत्त की गई हैं । वे सुव्यवस्थित हैं । विकसित भूमि को कई दशकों पूर्व आबंटित कर दिया गया है । यह निवेदन किया गया है कि आबंटन की दर, अर्जन की लागत और विकास, अवसंरचना के अभिन्यास पर हुए खर्चे की रकम पर आधारित है । यह निवेदन किया

गया है कि यदि अर्जन की लागत में बढ़ोतरी की जाती है तो किस प्रकार इस लागत को अब आबंटन के दशकों पश्चात् आबंटियों से वसूल किया जाएगा । इसलिए, यह निवेदन किया गया है कि अब लगभग 21 वर्षों की अवधि के पश्चात् वर्तमान याचिकाओं को ग्रहण करने और प्रतिकर की रकम में वृद्धि करने के व्यापक प्रभाव होंगे ।

5.7 यह भी निवेदन किया गया है कि यह विवादित है और इस बात से इनकार किया गया है कि ग्राम गुलसितापुर की भूमि, ग्राम कासना की भूमि से श्रेष्ठ है । यह निवेदन किया गया कि सही तथ्य यह है कि ग्राम कासना, मुख्य सड़क पर स्थित है जो ग्रेटर नोएडा को सिकन्दराबाद, जिला बुलंदशहर को जोड़ती है, इसी प्रकार ग्राम गुलसितापुर की भूमि जो भीतरी भाग में स्थित है ।

5.8 अब जहां तक याचियों के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा इसमें उपर्युक्त निर्दिष्ट इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लेने का संबंध है, प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों में से कोई भी वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता है । यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, लगभग 21 वर्षों का अत्यधिक विलंब हुआ है । यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, याची, विशेष इजाजत याचिकाओं को प्रस्तुत करने में लगभग 21 वर्षों के अत्यधिक विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण देने में असफल रहे हैं । यह निवेदन किया गया है कि अवलंबित मामलों में, यह न्यायालय विलंब के लिए दिए गए पर्याप्त कारणों से संतुष्ट था । यह निवेदन किया गया है कि अवलंबित मामलों में, उसी अधिसूचना के अधीन अर्जित भूमि के संबंध में समानता का दावा किया गया था और यह इंगित किया गया था कि गरीबी और वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुछ भूमि स्वामियों जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के अधीन अर्जित की गई थी, ने पूर्ववर्ती में अपीलों को प्रस्तुत नहीं कर सके थे और उन्होंने बाद में अपीलों को प्रस्तुत किया और उसी अधिसूचना के अधीन अर्जित भूमियों के बराबर प्रतिकर की समानता का दावा किया था । यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, याची, अन्य ग्राम की अर्जित भूमि

के संबंध में प्रतिकर में समानता का दावा कर रहे हैं और यह भी कि उक्त ग्राम की भूमि 4 वर्षों की अवधि के पश्चात् अर्जित की गई थी और स्थिति आदि के अनुसार भूमियां विभिन्न हैं । यह निवेदन किया गया है कि इसलिए, तथ्यों के आधार पर, वे वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होते हैं ।

5.9 उपर्युक्त निवेदनों को करते हुए, विलंब माफी के लिए प्रस्तुत वर्तमान आवेदनों को खारिज करने की प्रार्थना की गई है और परिणामत:, परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित होने के कारण विशेष इजाजत याचिकाओं को खारिज किया जाए ।

6. हमने, संबंधित पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को विस्तारपूर्वक सुना ।

6.1 प्रारंभ में ही, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश जिसे वर्ष 1996 में पारित किया गया है, को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाओं को प्रस्तुत करने में लगभग 21 वर्षों का अत्यधिक विलंब हुआ है । यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि ग्राम गुलसितापुर और तिल्पटा में स्थित भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना वर्ष 1985 में जारी किया गया था और जनवरी, 1987 के माह में उन पर कब्जा लिया गया था, और भूमि अर्जन अधिकारी ने 8-10 रुपए प्रति वर्ग गज की दर पर प्रतिकर अधिनिर्णीत करते हुए, वर्ष 1988 में अधिनिर्णय घोषित किया था । इसमें के याचियों-मूल भूमि स्वामियों की प्रेरणा पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन निर्देश न्यायालय के समक्ष निर्देश किया गया था । तारीख 22 मार्च, 1993 के निर्णय और अधिनिर्णय द्वारा निर्देश न्यायालय ने प्रतिकर की दर को 30/- रुपए प्रति वर्ग गज बढ़ा दिया था । तथापि, अपील करने पर और अभिलेख पर के सामग्रियों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा प्रतिकर की रकम को घटाकर 22-20 रुपए प्रति वर्ग गज कर दिया था । इसके बाद, लगभग 21 वर्षों की अवधि के पश्चात्, अब याचियों ने एक अन्य ग्राम कासना के भूमि

स्वामियों के लिए अधिनिर्णीत प्रतिकर के बराबर प्रतिकर का दावा करते हुए, वर्तमान याचिकाओं को प्रस्तुत किया है । यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि जहां तक ग्राम कासना की अर्जित भूमि का संबंध है, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना वर्ष 1989 अर्थात् 4 वर्षों के अंतराल के पश्चात् जारी किया गया था और यह प्रतीत होता है कि इस बीच में कतिपय अन्य कार्यवाहियां भी की गई थीं ।

7. विलंब माफी के लिए आवेदन/आवेदनों में किए गए प्रकथनों पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि चूंकि याची, लगभग 21 वर्षों के अत्यधिक विलंब को माफ करने के पर्याप्त कारण बताने में बुरी तरह से असफल रहे हैं । वे लगभग 21 वर्षों के अत्यधिक विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं कर पाए हैं । यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि चूंकि आवेदन में स्वयं ही याचियों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष आने में अत्यधिक विलंब हुआ है । इस न्यायालय के समक्ष आने में लगभग 21 वर्षों के विलंब के बारे में एकमात्र स्पष्टीकरण दिया गया है जो आवेदन के पैरा 3 में दिया गया है, जो निम्नलिखित है :–

> "कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आने का प्राथमिक कारण यह था कि दिसम्बर, 2016 में ही ग्राम कासना से संबंधित दावेदारों को इस माननीय न्यायालय से बढ़े हुए प्रतिकर 65/- रुपए प्रति गज प्राप्त हुआ था । इसमें के याचियों को उक्त तथ्य के बारे में जानकारी जनवरी, 2017 में ही हुई जिससे न केवल उन्हें अत्यधिक आघात पहुंचा अपितु, उन्हें इससे अत्यधिक दुख भी हुआ । इससे प्रभावित कई कुटुम्बों को न केवल अनिवार्य रूप से साहस मिला अपितु याचियों को सामूहिक रूप से न केवल बड़े हुए प्रतिकर संदाय करने का अपितु, ग्राम कासना के सह-ग्रामवासियों को अधिनिर्णीत प्रतिकर के समान प्रतिकर प्रदान करने का दावा करते हुए, वर्तमान विशेष इजाजत याचिका फाइल करने का अवसर मिला ।"

7.1 इसके पश्चात् याचियों ने यह कथन किया है कि यद्यपि,

याचियों ने 65/- रुपए प्रति गज की दर से बढ़े हुए प्रतिकर को पाने के लिए युक्तियुक्त कारण दिए हैं किन्तु, ऋजुत: साम्या के संतुलन के अनुक्रम में, यह न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख अर्थात् 2 अप्रैल, 1996 से इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाओं को फाइल करने तक ब्याज मंजूर नहीं कर सकता है । पैरा 3 में स्पष्टीकरण के सिवाय, जिसे इसमें उपर्युक्त प्रस्तुत किया गया है, लगभग 21 वर्ष के अत्यधिक विलंब का स्पष्टीकरण करते हुए, जो भी हो, का कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । न तो किसी गरीबी का अभिवाक् किया गया है न ही किसी वित्तीय कठिनाई का अभिवाक् किया गया है । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश के पश्चात् याचियों ने उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर की अपर्याप्तता के संबंध में कोई शिकायत/आक्षेप किया है । इसके प्रतिकूल, सभी याचियों ने निर्देश न्यायालय द्वारा 30/- रुपए प्रति गज की दर से प्रतिकर अवधारित करते हुए पारित निर्णय और अधिनिर्णय के अनुसार अधिनिर्णीत प्रतिकर को स्वीकार कर लिया है । यह प्रतीत होता है कि कुछ भूमि स्वामियों के संबंध में, निर्देश न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर की अंतरीय रकम की वसूली के संबंध में निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम 30/- रुपए प्रति गज से घटाकर 22/- रुपए प्रति गज कर दिया । चाहे जैसे भी स्थिति भी हो, यह तथ्य शेष रह जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के पश्चात् भी उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर की अपर्याप्तता के संबंध में याचियों द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की गई । इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि याचियों द्वारा लगभग 21 वर्षों की अवधि तक कोई शिकायत नहीं की गई है । इसलिए, मौन सहमति के सिद्धांत के निबंधनों पर विचार करते हुए, याचियों ने शिकायत करने के अपने अधिकार को खो दिया है । यह सिद्धांत, मौन सहमति के सिद्धांत पर आधारित है जो यह अधिरोपित करता है कि उन मामलों में जब कोई पक्षकार जो अन्य पक्षकार के अभिकथित गलत कार्यों की मौन सहमति देते हुए, कोई आक्षेप नहीं करता है और इसलिए, उसे अभिकथित गलत कार्यों के विरुद्ध शिकायत

करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है ।

8. मामले की एक अन्य पहलू अर्थात् लापरवाही और विलंब के नजरिए से परीक्षा की जानी अपेक्षित है । विधि शास्त्र का यह अत्यधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि यदि लंबे समय तक अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह अस्तित्व में नहीं रह जाता है । यहां तक कि जब कतिपय कार्यवाहियों के संबंध में, किसी विधि द्वारा कोई परिसीमा अवधि विहित नहीं होती है तो भी ऐसे मामलों में ऐसे मुकदमेबाज जिनके वाद खारिज कर दिए जाते हैं, अयुक्तियुक्त विलंब के पश्चात् कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायोचित स्पष्टीकरण के बिना विलंबित तौर पर न्यायालय के समक्ष आते हैं तो न्यायालय, लापरवाही और विलंब के सिद्धांत के साथ ही मौन सहमति के सिद्धांत को भी विचार में लेते हैं । उन मामलों में, जिनमें परिसीमा अवधि विहित होती है, जिनके भीतर न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लिए लाया जाता है, यदि कार्रवाई उस विहित अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो व्यथित पक्षकार उपचार को खो देते हैं और वे परिसीमा अवधि की समाप्ति होने पर अपने विधिक अधिकारों को प्रवर्तित नहीं करा सकते हैं, तथापि, विलंब की माफी की प्रार्थना के अध्यधीन और यदि विहित परिसीमा अवधि समाप्ति होने के पश्चात्, कार्रवाई करने के लिए न्यायोचित स्पष्टीकरण देते हैं और पर्याप्त कारण दर्शित करते हैं, तो न्यायालय, विलंब माफ कर सकते हैं । इसलिए, यदि जहां परिसीमा अवधि विहित है और कार्रवाई परिसीमा अवधि के भीतर नहीं लाई गई है और पश्चात्वर्ती कार्यवाहियां विलंब माफी के लिए प्रार्थना के साथ परिसीमा अवधि के पश्चात् आरंभ की जाती हैं तो उस मामले में, आवेदक को समुचित स्पष्टीकरण के साथ विलंब के पर्याप्त कारण और न्यायोचित कारण बताना चाहिए । यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में पर्याप्त कारण दर्शित करने के बावजूद, दर्शित नहीं होता है और विलंब को समुचित तौर पर स्पष्टीकृत नहीं किया जाता है, न्यायालय विलंब को माफ कर सकते हैं । विलंब की माफी के लिए कारण बताते हुए, आवेदक पर्याप्त हेतुक/कारण बताता है, जो उसे परिसीमा अवधि के भीतर कार्यवाहियां आरंभ करने से रोकते थे । अन्यथा, वह घोर उपेक्षा का अभियुक्त होगा । यदि व्यथित पक्षकार बिना किसी पर्याप्त कारण के परिसीमा अवधि के भीतर कार्यवाहियां

आरंभ नहीं करता है तो उसे अस्पष्टीकृत लापरवाहियों और विलंब के आधार पर अनुतोष देने से इनकार किया जा सकता है और इस उपधारणा पर कि ऐसे व्यक्ति ने अपने अधिकारों को त्यक्त कर दिया है या उस अनुक्रम में मौन सहमति दी है । ये सिद्धांत, इस दृढ़ लोक नीति से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है कि यदि व्यक्ति लंबे समय से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है तो ऐसे अधिकार अस्तित्व में नहीं रह जाते हैं ।

9. अब, जहां तक याचियों के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा **मार्केट कमिटी, होडल** (उपर्युक्त), **धीरज सिंह** (उपर्युक्त) और **के. सुब्रयुदु** (उपर्युक्त) वाले मामलों में, इस न्यायालय के विनिश्चियों के अवलंब लेने का संबंध है, उक्त विनिश्चयों का परिशीलन करने पर, हमारी यह राय है कि उक्त विनिश्चयों में से कोई भी विनिश्चय, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है और/अथवा न ही उक्त विनिश्चयों में से कोई भी विनिश्चय याचियों की सहायता करता है । प्रथमतः, अवलंबित मामलों में, इस प्रकार का लगभग 21 वर्षों का अत्यधिक विलंब नहीं हुआ था । अवलंबित मामलों में, यह न्यायालय विलंब के लिए दिए गए पर्याप्त कारणों से संतुष्ट था । अवलंबित मामलों में, उसी अधिसूचना के अधीन अर्जित भूमि के संबंध में समानता का दावा किया गया था और यह इंगित किया गया था कि गरीबी और वित्तीय कठिनाइयों के कारण भूमि स्वामियों में से कुछ भूमि स्वामी जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के अधीन अर्जित की गई थी, पूर्ववर्ती में, अपीलों को प्रस्तुत नहीं कर सके थे और इसके पश्चात्, बाद में उन्होंने अपीलों को प्रस्तुत किया और उसी अधिसूचना के अधीन अर्जित भूमि के बराबर प्रतिकर की समानता का दावा किया । यह भी उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि इस प्रकार पूर्वोक्त विनिश्चयों में से किसी भी विनिश्चय में, इस न्यायालय ने राज्य/अर्जक निकाय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के साथ और/अथवा विचार नहीं किया था, यदि, अत्यधिक विलंब/लापरवाहियों के पश्चात् राज्य/अर्जक निकाय को बढ़े हुए प्रतिकर के रकम का संदाय करने का निर्देश दिया गया था । वर्तमान मामले में, भूमियों को कई वर्षों पूर्व वर्ष 1985 में अर्जित किया गया था और वर्ष 1988 में, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत घोषित किया गया था । निर्देश न्यायालय

ने प्रतिकर की रकम को बढ़ा कर 30/- रुपए प्रति गज कर दिया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में, आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा घटा दिया गया था । यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि भूमियों को औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ अर्जित किया गया था । अर्जन के पश्चात्, भूमि का विकास किया गया, अवसंरचना और प्रसुविधाएं प्रदत्त की गई थीं और विकसित भूमियों को लगभग 30 वर्ष पूर्व आबंटित कर दिया गया था । प्रत्यर्थियों का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि आबंटन की दर, अर्जन की लागत और विकास तथा अवसंरचना पर खर्च रकम पर आधारित था । इसलिए, यदि अर्जन की लागत में, अब बढ़ोत्तरी की जाती है और राज्य/अर्जक निकाय को बढ़े हुए प्रतिकर का संदाय करने का निर्देश दिया जाता है तो उस दशा में, आबंटन के दशकों पश्चात् आबंटियों से प्रतिकर की रकम के अंतर को वसूल करना अत्यधिक कठिन होगा । अर्जक निकाय को अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना होगा और जैसा कि इसमें उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है, अर्जक निकाय को इतने अधिक वर्षों के पश्चात् आबंटियों से प्रतिकर के अंतर को वसूल करना अत्यधिक कठिन होगा । इन सभी पहलुओं और राज्य/अर्जक निकाय पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यदि उन्हें कई वर्षों के पश्चात् अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय करने का निर्देश दिया जाता है जिन पर, याचियों के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अवलंबित पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है । यद्यपि, याचियों ने विलंबित अवधि के लिए ब्याज/अथवा अन्य कानूनी फायदों को लेने से इनकार किया है, जैसा कि याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा निवेदन किया गया है, उस दशा में भी लगभग कई वर्षों (21 वर्षों) के पश्चात् प्रतिकर की बढ़े हुए रकम का संदाय करने के लिए राज्य/अर्जक निकाय को निर्देश दिया जाता है तो, यह अयुक्तियुक्त होगा और उन पर वित्तीय भार भी होगा और जैसा कि उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है, आबंटियों से उसे वसूल करने में राज्य/अर्जक निकाय को अत्यधिक कठिनाई होगी । इन परिस्थितियों में, पूर्वोक्त विनिश्चयों में से कोई भी विनिश्चय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है और/अथवा न ही उनसे याचियों को कोई सहायता मिलती है ।

10. उपर्युक्त मत और उपर्युक्त कथित कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम याचियों द्वारा विशेष इजाजत याचिकाओं को फाइल करने में किए गए क्रमश: 7534, 7542 और 7848 दिनों के अत्यधिक विलंब को माफ करने से इनकार करते हैं । तद्नुसार, विलंब की माफी के लिए फाइल आवेदनों को खारिज करते हैं । परिणामत:, परिसीमा अवधि के आधार पर, इन सभी विशेष इजाजत याचिकाओं को खारिज किया जाता है । तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

आवेदन/विशेष इजाजत याचिकाएं खारिज की गईं ।

क.

[2020] 1 उम. नि. प. 92

मल्लिकार्जुन और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

[2009 की दांडिक अपील सं. 1066]

8 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति आर. बानुमती और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 और 448/34 – हत्या – दोषसिद्धि – घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी-मृतक की माता के साक्ष्य में कुछ विसंगति और विरोधाभास पाया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराया जाना – जहां घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एक ग्रामीण और अनपढ़ स्त्री हो तो उसके द्वारा न्यायालय के कठघरे में साक्ष्य देते समय न्यायालय के वातावरण में भयभीत होने के कारण उसके कथन में थोड़ा फेरफार होना स्वाभाविक है और यदि उसका साक्ष्य समग्र रूप से पढ़ने पर अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है